प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 11.02.2026

थाना व जनपद चन्दौली

🔷 **थाना चन्दौली पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 01 मोटरसाइकिल से 04 प्लास्टिक की बोरी में 3970 डिब्बी में अवैध औषधि (प्रत्येक डिब्बी में 40 टैबलेट्स) बरामद कर 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

चन्दौली- पुलिस अधीक्षक चन्दौली आदित्य लांग्हे द्वारा जनपद मे अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक अनंत चन्द्रशेखर (आई.पी.एस.) व क्षेत्राधिकारी सदर, देवेन्द्र कुमार के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक चन्दौली विजय बहादुर सिंह के कुशल नेतृत्व में दिनांक-10.02.2026 को उ0नि0 तरुण कश्यप चौकी प्रभारी नवही व उ.नि. वीरेंद्र कुमार चौकी प्रभारी कस्बा मय हमराह के साथ चेकिंग के दौरान मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम द्वारा नवीन मंडी से बिहार की तरफ कुछ ही दूर बढ़ने पर निर्माणाधीन ओवरब्रिज के समीप चेकिग के दौरान पकडे गये व्यक्ति की पहचान शमशेर आलम पुत्र नसीरुद्दीन निवासी ग्राम पारसथूआ थाना कोचस जिला रोहतास बिहार उम्र 38 वर्ष के रुप में हुआ जिसके कब्जें से सभी 04 बोरी को मोटर साइकिल वाहन संख्या BR 24 AQ 4691 से नीचे उतरवा कर बोरी का मुंह खोल कर देखा गया तो पहली बोरी में 1110 डिब्बी, दूसरी बोरी संख्या 860 डिब्बी, तीसरी बोरी 1000 डिब्बी तथा चौथी बोरी में 1000 डिब्बी प्राप्त हुई तथा सभी बोरी में कुल 3970 डिब्बी बरामद हुआ तथा बरामद बोरियो से प्राप्त दवाओं की प्रत्येक डिब्बी पर NEW ORTHO POWER original tablets HOMOEO MEDICINE, Mfg. By ROHIT HOMOEO LABORATORIES C-21, Tadna plot behind dhanmora complex katar gan surat, Mfg. Lic. No HM656H, M.R.P. 160.00 का स्टीकर लगा हुआ बरामद कुल 3970 डिब्बी में से एक डिब्बी का मुंह खोल कर देखा गया तो उसमें 40 टैबलेट्स बरामद हुआ। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 47/2026 धारा 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2) BNS में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ विवरण-
पूछताछ के दौरान बताया गया कि मुजफ्फरनगर के हिमांशु गोयल के नेक्सोन फर्म से ही भेजते है जिसे मै खुद से डिब्बी में कूटरचित लेवल/स्टीकर बनाकर पैकेजिंग करते हुए बिना किसी को जानकारी दिए धोखाधड़ी करते हुए अधिक दामों में बेच देता हु जिससे मुझे काफी मुनाफा होता है।

पंजीकृत मु0अ0सं0-
1. मु0अ0स0 47/2026 धारा 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2) BNS थाना व जिला चन्दौली

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1. शमशेर आलम पुत्र नसीरुद्दीन निवासी ग्राम पारसथूआ थाना कोचस जिला रोहतास बिहार उम्र 38 वर्ष

बरामदगी विवरण-

4 प्लास्टिक की बोरी में 3970 डिब्बी में अवैध औषधि प्रत्येक डिब्बी में 40 टैबलेट्स, एक मोटर साइकिल BR 24 AQ 4691, एक एंड्रॉयड फोन रियलमी

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1.विजय बहादुर सिह प्र0नि0 थाना व जिला चन्दौली
2.उ0नि0 तरुण कश्यप थाना व जिला चन्दौली
3.उ0नि0 वीरेन्द्र कुमार चौकी प्रभारी कस्बा थाना व जिला चन्दौली
4.हे0का0 धीरेन्द्र यादव थाना व जिला चन्दौली
5.का0 संजय कुमार पटेल थाना व जिला चन्दौली।

(ऑपरेशन कन्विक्शन)

▶️ **श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उत्तरप्रदेश, लखनऊ द्वारा निर्गत निर्देश के क्रम में प्रचलित "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान में जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप अभियुक्तों को दिलाई जा रही सजा।**

▶️ **मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री यज्ञेश कुमार सोनकर (अपर सिविल जज(जू0डि0)/जे0एम0 चकिया जनपद चन्दौली) द्वारा दोषी 01 अभियुक्त 01 वर्ष के कारावास की सजा व 8000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

थाना बबुरी के मुकदमें में दोषसिद्ध का विवरण-

1-दिनांक 02.11.1995 को धारा 498ए भादवि व ¾ डीपी एक्ट के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.अब्दुल मतीन पुत्र मुनीबुल हक निवासी सिरकुटिया थाना बबुरी जनपद चन्दौली के विरुद्ध अपराध संख्या- सी-6/1995 धारा 498ए भादवि व ¾ डीपी एक्ट थाना बबुरी में पंजीकृत किया गया।

मानिटरिंग सेल प्रभारी निरीक्षक मुकेश तिवारी व विजयेता सिंह (एपीओ) व थाना बबुरी के पैरोकार का0 रामनरायण की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप दिनांक-11.02.2026 को मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री यज्ञेश कुमार सोनकर (अपर सिविल जज(जू0डि0)/जे0एम0 चकिया जनपद चन्दौली) द्वारा दोषी 01 अभियुक्त 1.अब्दुल मतीन पुत्र मुनीबुल हक निवासी सिरकुटिया थाना बबुरी जनपद चन्दौली को 01 वर्ष के कारावास की सजा व 8000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।